अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का
75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बुधवार, 27 अप्रैल 2022

जब तक जीना, तब तक सीखना- अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
-स्वामी विवेकानंद

सर्वोच्च अदालत ने देश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को ग्रेच्युटी पाने का हकदार बताया है, जिससे निश्चय ही इन जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।

राहत देने वाला फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में देश की करीब पच्चीस लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने का हकदार घोषित किया है, जिससे इन जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सोलह सालों से जारी संघर्ष अपनी निर्णायक परिणति तक पहुंच गया है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में पांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की याचिका पर प्रतिकूल फैसला सुनाया था, जिसे उन्होंने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। हैरत नहीं कि केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने देश के जन-स्वास्थ्य की रीढ़ मानी जाने वाली इन कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियमित सरकारी कर्मचारी मानने से ही इनकार कर दिया था! इस फैसले पर गौर किया जाना चाहिए, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के तहत आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं और वे सरकार की विस्तारित इकाई हैं। वास्तविकता यह है कि कुपोषण और रक्ताल्पता जैसी कमजोरियों के खिलाफ लड़ाई में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ही जमीनी योद्धा हैं। जनवरी, 2019 में जब देश में कोरोना वायरस के रूप में महामारी ने दस्तक दी थी, तब इन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आशा तथा एएनएम कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में खुद को जोखिम में डालकर घर-घर जाकर संक्रमण की चेन ढूंढ़ने में मदद की थी। याद किया जा सकता है कि कैसे उनके पास तब पीपीटी किट भी नहीं होती थी, और उन्हें सामाजिक रूढ़ियों के कारण विरोध तक का सामना करना पड़ता था! दूसरी ओर, विश्व बैंक जैसी संस्था ने उनके इस काम को रेखांकित किया था। महामारी से लड़ाई में आज हम दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में हैं, तो इसके पीछे इन्हीं जमीनी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है, जिन्होंने महामारी की घातक लहर के बीच देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के पालन में अहम भूमिका निभाई। ग्रेच्युटी का लाभ सेवानिवृत्त हो चुकीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को भी मिलेगा, इससे निश्चय ही उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो सकेगी। यह फैसला वास्तव में उनके संघर्ष का एक पड़ाव है, दरअसल विभिन्न राज्यों में उनके समान काम के एवज में मिलने वाले मानदेय में भारी असंतुलन है, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है।

सुधार के साथ चुनौतियां कम नहीं

सेवाओं के बीच अंतर सैनिकों, नाविकों और एयरमैन की भर्ती के शैक्षिक स्तर के साथ शुरू होता है। जहां सेना में दसवीं के बाद सिपाहियों की भर्ती शुरू हो जाती है, वहीं नाविकों और वायुसैनिकों को गणित और भौतिकी विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण करने की जरुरत होती है।

विवेक चड्ढा
सेवानिवृत्त कर्नल

अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिरक्षा से जुड़े एक महत्वाकांक्षी विचार पर काम करना शुरू किया। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद की स्थापना कर, जिनके पहले पदाधिकारी दिवंगत जनरल बिपिन रावत थे, सरकार ने भारतीय सेना में आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया। इस पहल के केंद्र में सैन्य बलों के एकीकरण से जुड़ा विमर्श है। एकीकरण ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना अपने एकल सेवा दृष्टिकोण को त्याग कर एक संयुक्त दृष्टिकोण के साथ काम करती हैं। ऐसा एकीकरण बड़ी सेनाओं वाले अमेरिका और चीन में हो चुका है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं।

सीडीएस के सृजन ने भारतीय सेना के भीतर बहस छेड़ दी है। इसमें सबसे अहम बहस सीडीएस की भूमिका से जुड़ी है। दिसंबर, 2019 के नोट में सरकार ने स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया था कि सीडीएस खुद सैन्य कमान का इस्तेमाल नहीं करेगा, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष सलाह दे सके। इसका मतलब यह हुआ कि सीडीएस कमांड चेन का हिस्सा नहीं होगा। कमान की यह श्रृंखला, किसी भी सैन्य पदानुक्रम में, सेना में एक बटालियन या इसके समकक्ष, वायु सेना में एक स्क्वाड्रन, या नौसेना में एक जहाज से संगठन के शीर्ष सोपानक विस्तारित होती है। भारत में इसके शीर्ष पर तीनों सेवाओं के प्रमुख होते हैं। हालांकि, एकीकृत मुख्यालय (जिसमें सभी सेवाओं के प्रतिनिधि होते हैं) के निर्माण के साथ, जैसी कि परिकल्पना और घोषणा की गई है, कोई भी प्रमुख उन्हें कमांड देने की स्थिति में नहीं होगा। और तीनों सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सीडीएस भी उन पर सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा। इस व्यवस्था में सैन्य कमांडर राजनीतिक निर्णय लेने वालों के साथ कैसे काम करेंगे?

भारतीय सेना में एकीकृत सैन्य ढांचे का निर्माण अपेक्षाकृत देरी से हुआ है। एक ही व्यक्ति यानी सीडीएस को कमान और तीनों सेवाएं सौंपने को लेकर गलतफहमी थी। इसी वजह से दशकों से पक्ष में बार-बार सिफारिश किए जाने के बावजूद इस पर अमल नहीं हो सका था। सीडीएस नियुक्त कर इस सरकार ने इन आपत्तियों को सफलतापूर्वक दूर किया है। हालांकि इस संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास दो प्रमुख विकल्प हैं, फिर भी सीडीएस की कामकाजी भूमिका स्पष्ट नहीं है।

सीडीएस के लिए पहला विकल्प कमांड श्रृंखला का हिस्सा बने बिना सलाहकार की भूमिका में रहना है। इस मामले में, जो सबसे ऊंचा संयुक्त ढांचा बनेगा (प्रस्तावित संयुक्त थिएटर कमांड) वह रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेगा। अमेरिका में जिस तरह राजनीतिक नेतृत्व सेना से संपर्क करता है, यह कुछ मायनों में उसी तरह का है, जिसमें ज्वाइंट इन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीडीएस के समकक्ष) के अध्यक्ष की केवल समन्वय और सलाहकार भूमिका होती है। दूसरा विकल्प सीडीएस और सेवा प्रमुख की टीम को कमांड श्रृंखला में एक सामूहिक कमांड निकाय के रूप में कार्य करने के लिए लाना है, सीडीएस जिसका प्रमुख होगा। यह समूह जो भारतीय संदर्भ में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) कहा जाता है, नागरिक नेतृत्व और अधीनस्थ सैन्य कमांडरों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सीडीएस के पास एक स्पष्ट शासनादेश है और वह इसके निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा करना सरकार द्वारा दिसंबर, 2019 में जारी दिशा-निर्देश (जिसमें सुधार की आवश्यकता है) के विपरीत है। दो कारणों से कम से कम निकट भविष्य में सीडीएस के नेतृत्व वाला सशक्त सीओएससी भारत के लिए ज्यादा अनुकूल होगा। पहली वजह यह है कि चालू एकीकरण की प्रक्रिया के पूरे होने के दौरान कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिससे एक पेशेवर निकाय की अतीत के मुकाबले ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। अंततः जब एक बार नवनिर्मित एकीकृत संरचनाएं पूरी तरह काम करने लगें, तब सीडीएस और सीओएससी को समन्वय और सलाहकार की भूमिका देने पर विचार किया जा सकता है। दूसरा, ऐसा कदम-दर-कदम आगे बढ़ने वाला दृष्टिकोण बदलाव को आसान बना देगा, विशेष रूप से तब, जब भारत पाकिस्तान व चीन के साथ सीमा विवाद की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। यदि सीडीएस के नेतृत्व वाली सीओएससी कमांड की जिम्मेदारियां लेती है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेवाओं ने जिस विशिष्टता को बनाए रखा है, वे बेहतर ढंग से एकीकृत हों। सेवाओं के बीच अंतर सैनिकों, नाविकों और एयरमैन की भर्ती के शैक्षिक स्तर के साथ शुरू होता है। जहां सेना में दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद भी सिपाहियों की भर्ती की जाती है, वहीं नाविकों और वायुसैनिकों को गणित और भौतिकी विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण करने की जरूरत होती है। सेवाओं के भीतर भी इस तरह के मतभेद जारी हैं। मिसाल के तौर पर जहाज पर आदेश अंग्रेजी में पारित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी शब्द शामिल होते हैं। दूसरी ओर सेना में व्यापक भाषायी अंतर के बावजूद, सैनिकों के साथ संवाद करते समय हिंदी का अधिक उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा अनेक वर्षों में प्रत्येक सेवा ने अपनी स्थिति के मुताबिक सेवा के मापदंड तय किए हैं। वायु सेना के लड़ाकू पायलट 54 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि नौसेना अधिकारी 56 साल में और थल सेना अधिकारी 54 साल की उम्र में चार साल की फिर से सेवा के प्रावधान के साथ सेवानिवृत्त होते हैं। नौसेना के जो अधिकारी कैप्टन रैंक (थल सेना में कर्नल के समकक्ष) तक पदोन्नत होते हैं, वे अगली रैंक कोमोडोर पर अपने आप पदोन्नति के योग्य हो जाते हैं। हालांकि थल सेना और वायुसेना में ऐसा नहीं होता है। इनके साथ ही कई अन्य पहलुओं को लगातार प्रयासों से दूर किया जा सकता है। असल में सेवाओं में भेद करती है, इन सेवाओं की विशिष्ट कार्य-संस्कृति। मसलन, एक सैनिक जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का काम करता है, वह उस व्यक्ति से बहुत अलग तरीके से सोचता और कार्य करता है, जिसने शांतिकाल के नियमों का अनुसरण किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि संरचनात्मक एकीकरण और दिल और दिमाग में समन्वय की कोई उम्मीद नहीं है। इसके उलट इन चुनौतियों से पता चलता है कि नीति नियंताओं और विशेष रूप से सेवाओं को इन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सुधारों की जरूरत को रेखांकित करते हैं।

कुछ चर्चे कुछ लोग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सागरमल गोपा की शहादत को जनमानस की स्मृतियों में जिंदा रखने के लिए भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 1986 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया था।

लेखक-क्रांतिकारी सागरमल गोपा

सागरमल गोपा का जन्म तीन नवंबर, 1900 को राजस्थान के जैसलमेर के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सागरमल के पिता अखयराज गोपा महाराजा के दरबार में उच्च पद पर थे। उस वक्त जैसलमेर रियासत में महाराजा जवाहर सिंह का राज था। वह अंग्रेजों के पिट्ठू थे और अपनी जनता पर भीषण अत्याचार करते थे। जैसलमेर रियासत में पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने और छापने तक पर प्रतिबंध था, क्योंकि उससे विद्रोह फैलने की आशंका थी। महाराजा के कारिंदे प्रजा पर सख्त नजर रखते थे और बेवजह उन पर जुल्म करते थे। लोग उस अत्याचार से त्रस्त थे, लेकिन वे डर के मारे मुंह नहीं खोलते थे। अपने आसपास महाराजा और अंग्रेजों के जुल्मों के निशान देखकर बड़े हो रहे सागरमल दुखी और क्षुब्ध हो रहे थे।

वह समझ गए थे कि आवाज उठाए बिना महाराजा और अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति संभव नहीं है। वर्ष 1921 में वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। लोगों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए उन्होंने पंद्रह साल की उम्र में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। शोषण और अत्याचार के घुटन भरे माहौल में उन्होंने महाराजा के विरुद्ध कविता लिखी थी, *क्रांति की आंधी न रुकेगी मुद्गर से/एक न एक दिन तुम शासन गंवाओगे/नौ रत्न के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम/जैसाण के किले पर तिरंगा पाओगे*। कविता के अलावा उन्होंने *जैसलमेर राज्य का गुंडाराज* और *आजादी के दीवाने* जैसे किताबें भी लिखी थीं।

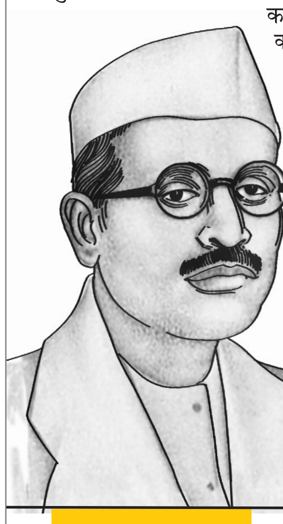

अपने क्रांतिकारी भाषणों और लेखों से सागरमल ने जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह को नाराज कर दिया था। नतीजतन उनके पिता को पद से हटा दिया गया और वे सपरिवार नागपुर चले गए। वहां भी सागरमल आजादी के आंदोलनों में भाग लेते रहे। विभिन्न विद्रोहों में उनकी भागीदारी के कारण जैसलमेर और हैदराबाद में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन वर्ष 1941 में पिता के देहांत के बाद उन्हें पिंडदान के लिए जैसलमेर लौटना पड़ा, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सागरमल गोपा ने आजादी की जो अलख जगाई थी, यह उसी का नतीजा था कि वर्ष 1945 में जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना हुई। लेकिन जेल में क्रूर थानेदार गुमान सिंह सागरमल गोपा से माफी मंगवाने के लिए रोज ही उनके साथ क्रूरता बरतता था। प्रजामंडल के नेता जयनारायण व्यास को जब इसकी खबर मिली, तो उन्होंने इसकी जानकारी लेनी चाही। छह अप्रैल, 1946 को उनके जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बना, ताकि वह सच्चाई जान सकें। लेकिन उससे पहले ही तीन अप्रैल को यह मनहूस खबर आई कि सागरमल गोपा ने जेल में आत्महत्या कर ली है। जबकि वह आत्महत्या नहीं थी, गर्म तेल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। उस अवस्था में भी किसी को उनसे मिलने नहीं दिया गया और चार अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। सागरमल गोपा की मौत की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी गठित हुई, लेकिन उसने हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया।

आखिरकार 30 मार्च, 1949 को जैसलमेर आजाद भारत का हिस्सा बन गया। सागरमल गोपा की शहादत को जनमानस की स्मृतियों में जिंदा रखने के लिए भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 1986 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया था। इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा भी उनके नाम पर है।

महाराजा और अंग्रेजों के जुल्म देखकर सागरमल ने कम उम्र में ही क्रांति का रास्ता चुन लिया था।

अमोस ओज
(इस्राइली लेखक)

मुखड़ा क्या देखे दर्पण में

आप कितनी ही तरतीब से किताबों को खत्म करने की कोशिश करो, इसकी हमेशा गुंजाइश रहती है कि कहीं एक प्रति जिंदा बच जाए।

किताबों की कभी मौत नहीं होती

एक चीज जो हमारे यहां इफरात में थी, वह थी किताबें। एक दीवार से दूसरे दीवार तक ठंसी हुईं, गलियारे और रसोई में, एंट्रेंस और खिड़कियों के सिल पर– हर कहीं वे भरी पड़ी थीं। हजारों किताबें, फ्लैट के हर कोने में। मुझे लगता, लोग आते-जाते हों, जन्म लेते और मरते हों, मगर किताबों की कभी मौत नहीं होती। जब मैं छोटा था, मेरी यही हसरत थी कि किताब की शक्ल में बड़ा होऊं– किताबें लिखने वाला लेखक नहीं। आप कितनी ही तरतीब से किताबों को खत्म करने की कोशिश करो, इसकी हमेशा गुंजाइश रहती है कि कहीं एक प्रति जिंदा बच जाए और किसी दूर-दराज, असामान्य-सी जगह की लाइब्रेरी के शेल्फ पर सुरक्षित पड़ी रहे।

एक या दो मर्तबा जब कभी ऐसा हुआ कि घर में खाने को पैसे न हों, तब मां बाबा की तरफ देखतीं, और बाबा समझ जाते कि कुर्बानी का क्षण आ गया है और वह किताबों की अलमारी की ओर पलटते। वह नैतिक आदमी थे, और जानते थे कि रोटी की जगह किताबों से ऊपर है और बच्चे की बेहतरी सब चीजों से ऊपर है। मुझे दरवाजे से बाहर निकलती उनकी झुकी हुई पीठ याद पड़ती है, वह मेयर साहब की सेकेंड हैंड किताब की दुकान के लिए इस हड़बड़ी में निकलते कि जल्दी से जल्दी इस पाप से निजात पाएं। मैं उनकी तकलीफ समझ सकता था। मेरे बाबा का अपनी किताबों से एक बेहद सेंसुअल संबंध था। किताबों को सहलाना, थपथपाना, सूंघना उन्हें अच्छा लगता। किताबों की संगत में उन्हें एक जिस्मानी खुशी मिलती। हर किताब की अपनी खास निजी, उत्तेजक महक होती। बहुत बार गत्तों से कपड़ा अलग हो जाता, तब कपड़े और देह की उन अंधेरी जगहों में झांककर देख लेने और नशीली महक को सूंघने की इच्छा पर काबू करना असंभव हो जाता।

बाबा अमूमन एक या दो घंटे पर वापस लौटते। किताबों की जगह भूरे कागजी बैग में रोटी, अंडे, चीज, और कभी-कभी डिब्बाबंद मांस होता। लेकिन कभी-कभी कुर्बानी पर निकले वह वापस लौटते, तो होंठों पर एक छोर से दूसरे छोर तक मुस्कान तनी होती– अपनी दुलारी किताबों को खोकर लौटे होते, मगर साथ में खाने का कुछ सामान भी न होता। अपनी किताबें वह जरूर बेच आए होते, मगर उस कमी की भरपाई उन्होंने तत्काल दूसरी किताबें खरीदकर कर ली होती। मां उन्हें माफ कर देतीं, और उसी तरह मैं भी।

मुझे लगता लोग आते-जाते हों, जन्म लेते और मरते हों, मगर किताबों की कभी मौत नहीं होती।

आंकड़े

पड़ोसी देशों की मदद

भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में पड़ोसी देशों की सहायता के लिए 7,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया, जिसमें सबसे ज्यादा राशि भूटान, नेपाल और मॉरीशस को दी गई।

भूटान	3,005
म्यांमार	400
नेपाल	992
अफगानिस्तान	350
मॉरीशस	900
मालदीव	300

नोटः आंकड़े करोड़ रुपये में हैं।

स्रोत-विदेश मंत्रालय

गणेश को लड्डू देते हुए पार्वती जी बोलीं, 'धर्मशास्त्रों में माता-पिता के चरणों को तीर्थस्वरूप बताया गया है। माता-पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।'

सबसे बड़ा धर्मात्मा

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक दिव्य लड्डू भेंट किया। पार्वती जी के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय को लड्डू बहुत पंसद थे। दोनों लड्डू देखते ही मचलने लगे। गणेश जी ने कहा, 'लड्डू मैं लूंगा।' कार्तिकेय जी अड़ गए कि मां लड्डू मुझे दो।

पार्वती जी ने कहा, 'मैं इस दिव्य लड्डू के दो टुकड़े नहीं करूंगी। मैं यह लड्डू उसे दूंगी, जो अपने को ज्यादा धर्मात्मा सिद्ध कर सकेगा।' यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार हुए और कैलाश की तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वह समझते थे कि तीर्थयात्रा से बढ़कर और दूसरा धर्म क्या होगा। गणेश समझते थे कि माता-पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए उन्होंने महादेव जी तथा पार्वती जी की परिक्रमा की और बैठकर चरण दबाने लगे। कार्तिकेय तीर्थयात्रा से लौटे तथा पार्वती के पास बैठ गए। पार्वती जी ने लड्डू उठाया तथा गणेश को देते हुए बोलीं, 'धर्मशास्त्रों में माता-पिता के चरणों को तीर्थस्वरूप बताया गया है। माता-पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।' इसीलिए गणेश सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध हुए। कार्तिकेय जी धर्म का सच्चा अर्थ सुनकर मुस्करा पड़े। गणेश जी की बुद्धिमत्ता देख देवतागण उनकी जय-जयकार करने लगे।

(अमर उजाला आर्काइव से)

शिलालेख

रहा है दिल मला करे
न होगा आंसू आए
सब दिनों कौन रहा जीता
सभी तो मरते दिखलाए
हो रहेगा जो होना है
टलेगी घड़ी न घबराए
छूट जाएंगे बंधन से
मौत आती है तो आए

-अयोध्या सिंह उपाध्याय

अनूठी है केंद्र की अमृत सरोवर योजना

राजस्थान सरकार की नई पर्यटन नीति से रेगिस्तान की जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होगी। हम अपनी विरासत को नष्ट नहीं होने दे सकते।

गुंजन मिश्रा

जल प्रबंधन

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अमृत सरोवर योजना शुरू की है, जिसके तहत देश भर में 50,000 तालाब बनवाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हरेक जिले में 75 सरोवर बनाए जाएंगे। इतिहास गवाह है कि हमारे देश में कुएं, तालाब, बावड़ी, बनवाने की पुरानी परंपरा रही है। जिन लोगों ने पानी प्रबंधन के लिए कार्य किया, उनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है।

आज से करीब दस साल पहले वर्ष 2013 की घटना है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के काकुन गांव में एक पुत्र ने अपने पिता की जमीन पर अपना तालाब अभियान के तहत तालाब के लिए आवेदन देकर तालाब का निर्माण कराया। इससे उसकी मां नाराज हो गई कि तुमने सिर्फ अपने पिता की भूमि पर तालाब बनवाया। मेरे नाम से, जो कृषि भूमि है, उस पर तालाब क्यों नहीं बनवाया? तुम क्या सिर्फ अपने पिता को ही पुण्य करने देना चाहते हो। मेरे नाम की भूमि पर भी तालाब बनबाओ, ताकि मैं भी कुछ पुण्य कमा सकूं। तब उस बेटे को अपनी मां के नाम पर भी एक तालाब बनवाना पड़ा। ऐसी ही एक घटना महोबा जिले के रिवई गांव में कमला त्रिपाठी की है, जिन्होंने अपनी बेटी से तालाबों की अनेक कहानियां सुनकर अपने खेत पर भी तालाब बनवाने का फैसला कर लिया। जब पारिवारिक विरोध के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हुईं, तो खुद के नाम जमीन खरीदकर 2020 में उन्होंने दो तालाब बनवाए। अब उनके खेत पर पशु, पेड़-पौधों और फसल की विविधता बढ़ने लगी है। इसी तरह बृजपाल सिंह एक बड़े कृषक हैं। सिंचाई सुविधा न होने के कारण बृजपाल सिंह की पचासों बीघा जमीन बेकार पड़ी रहती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन पर बोर वेल लगवाने का निश्चय किया। 680 फीट खोदने के बाद भी जब पानी नहीं मिला, तो उन्होंने तालाब बनवाया। आज वह अपनी कृषि भूमि पर विभिन्न तरह की फसलें उगाते हैं और उनके पशुओं को भी वर्ष भर हरा चारा मिलने लगा। इसके अलावा उन्होंने एक बाग भी लगा लिया।

तालाबों से कई तरह के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ देखने को मिलते है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मौसम की बेरुखी के कारण फसल नष्ट नहीं होती। जिन किसानों को तालाब से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, आत्महत्या के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि तालाब होने से उनके पास मछली पालन, सिंघाड़ा, डेयरी, सब्जी की खेती जैसे आजीविका के साधन उपलब्ध थे। तालाब में मछली पालन से कुपोषण की समस्या दूर हो सकती है और महिलाओं और लड़कियों को पौष्टिक भोजन मिलने से मातृ मृत्यु दर में गिरावट आती है। तालाब के कारण खेत में नमी रहने से मिट्टी का जैविक कार्बन गर्मियों में भी बना रहता है, जिससे अनाज के पोषण में सुधार होता है। तालाब भूमिगत जल को समृद्ध करके जल की गुणवत्ता को सही रखता है एवं उपजाऊ मिटटी का क्षरण रोककर किसानों को आर्थिक लाभ भी देता है। उदाहरण के लिए, भू-गर्भ जल विभाग की वर्ष 2020 रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में चित्रकूट धाम मंडल के बांदा जिले में अधिकतम तीन मीटर, चित्रकूट और महोबा में दो -दो मीटर और हमीरपुर जनपद में साढ़े तीन मीटर तक भू-जल स्तर में सुधार हुआ है एवं 10 ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी से मुक्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, तालाब जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं को रोकने में भी सहायक होता है। हालांकि विभिन्न सरकारों ने सिंचाई के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया है, पर बांधों के कारण होने वाले विस्थापन, कृषि एवं वन भूमि का अधिग्रहण, समय पर सिंचाई उपलब्ध न होना, पानी की बर्बादी, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन एवं बांध निर्माण की भारी लागत को देखते हुए तालाबों का निर्माण कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर योजना हर दृष्टि से अनूठी एवं लाभप्रद है।

edit@amarujala.com